केन्द्रीय सूचना आयोग
दूसरा तल, बी विंग, अगस्त क्रान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066

दिनांक : 11.10.2017

संचित संख्या: CICOM/R/2017/01187/3/CR-1 &
CICOM/R/2017/01187/3/CR-1

सेवा में,

माननीय संयुक्त सचिव (प्रशासन)
केन्द्रीय सूचना आयोग,
नई दिल्ली ।

Ent 11/10/17

विषय :- सूचना के अधिकार के सेक्शन 5(4) के तहत सहायता चाहना ।

महोदय,

दिनांक 07.08.2017 के दो आर टी आई आवेदन (जो कि अक्षरक्ष: एक जैसे है, जिनकी प्रति भी संग्लन है) जो कि आयोग में **CICOM/R/2017/01187/3 एव CICOM/R/2017/01187/4** के तहत पंजीकृत हूए है का संदर्भ ग्रहण करें ।

केन्द्रीय रजिस्ट्री - 1 के कार्य का सिमित दायरा है। जो भी याचिका आयोग में प्राप्त होती है, जाँच के उपरान्त अगर पाया जाता है कि सभी **"अनिवार्य जरूरतें"** पूर्ण हो रही है तो उसे अपील/कम्पलेंट के तौर पर दर्ज कर लिया जाता है लेकिन अगर **"अनिवार्य जरूरतें"** पूर्ण नहीं हो रही है तो सुविधा ज्ञापन अपीलार्थी को भेज दिया जाता है ताकि वह दर्शायी गई त्रुटियों को ठीक कर उस याचिका को दुबारा आयोग में दे सके ताकि उसे अपील/कम्पलेंट के तौर पर दर्ज किया जा सके । यह सुविधा ज्ञापन, जैसे कि आपको विदित है सिस्टम से तैयार होता है एव उसे हिंदी में बनाने का कोई प्रावधान अभी नहीं है । अत: वह अंग्रेजी भाषा में ही जारी होता है । तथापि एक प्रावरण पत्र हिन्दी में लगा दिया जाता है । कुछ अपवाद स्वरूप मामलो में जहाँ कि अपीलार्थी ने विशिष्ट प्रार्थना सहयोग से अंग्रेजी में तैयार सुविधा ज्ञापन की हिन्दी अनुवाद करके अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी जाती है ।

चूँकि उपरोक्त आर टी आई आवेदन के बिन्दु संख्या 23 से 26 की विषय वस्तु राजभाषा नियमो के हिन्दी में दिये गये द्वितीय अपील के आवेदनों के अंग्रेजी में उत्तर, सूचना, निर्णय जारी करने से सम्बंधित है, जो कि आपके कार्य से अधिक निकटता से सम्बंधित है अत: आपको प्रेषित की जा रही है u/s 5(4) ताकि आपकी सहायता से आर टी आई आवेदक को चाही गई सूचना उपलब्ध करवाई जा सके ।

साभार

संलग्न: उपरोक्त

(कृष्ण अवतार तलवार)
उप -सचिव पंजियक -उप /
केन्द्रीय रजिस्टरी - 1

प्रतिलिपि :

1. **केंद्रीय जन सूचना अधिकारी,** केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

11/10/17

(कृष्ण अवतार तलवार)
उप -सचिव पंजियक -उप /
केन्द्रीय रजिस्टरी - 1